Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पाली में पुलिस थाना जैतारण का कानिस्टेबल 4 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *22 दिसम्बर,* गुरूवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर पाली–प्रथम इकाई द्वारा आज जैतारण में कार्यवाही करते हुये दिलीप सिंह कानिस्टेबल, पुलिस थाना जैतारण, जिला पाली को परिवादी से **4 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि झूठे केस में नहीं फंसाने एवं हल्के कागजात बनाने की एवज में दिलीप सिंह कानिस्टेबल, पुलिस थाना जैतारण, जिला पाली द्वारा 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी पाली प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरपत चंद** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री पदमपाल सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दिलीप सिंह पुत्र श्री मातादीन मीणा निवासी मीणा की ढ़ाणी, उधो का बास, पुलिस थाना बानसुर, तहसील बानसुर, जिला अलवर हाल कानिस्टेबल, पुलिस थाना जैतारण, जिला पाली को परिवादी से 4 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कानिस्टेबल द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही **6 हजार रुपये** रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।